कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य राउमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी–17–18/2017/III दिनांक 25.09.2017 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में क्रम सं 96, वरिष्ठता क्रमांक–1381 पर श्रीमति नीतू मान, प्र.अ. शहीद अमर सिंह सैकण्डरी स्कूल, जयसिंहवास, झुन्झुनु को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र के आधार पर राउमावि–बिजराड, चौहटन बाडमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया।

उक्त पदोन्नत कार्मिक ने इस सम्बन्ध में दिनांक 25.09.17 को आयोजित काउन्सलिंग में प्रधानाचार्य पदस्थापन हेतु जारी रिक्तियों की सूची में अपने गृह जिले झुन्झुनु में राउमावि नूनियां गोठडा, राउमावि बख्तावरपुरा, राउमावि डीके. का बास व राउमावि रसूलपुर, झुन्झुनु में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होते हुए भी काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 21359/2017 श्रीमति नीतू मान बनाम राजस्थान राज्य दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.17 को पारित निर्णय में अपने पूर्व प्रकरण याचिका संख्या 10232/16 श्रीमति रूपलता मीणा बनाम सरकार में दिये गए निर्णय का हवाला देते हुए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अभ्यावेदन का चार सप्ताह में निस्तारण सम्बन्धी आदेश दिये गये।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में अपनी सास की अस्वस्थता, पति के राजकीय सेवा में सेवारत होने व बच्चों की पढाई व वर्तमान पदस्थापन स्थान का घर से करीब 700 किलोमीटर दूर होने के कारणों के आधार पर झुन्झुनु जिले में राउमावि हेतमसर, राउमावि भीमसर, राउमावि रसूलपुर, खेतडी, राउमावि देवरोड व राउमावि सिहोंडियों की ढाणी, झुन्झुनु अथवा सीकर या चुरू के निकटतम स्थानों पर पदस्थापित किये जाने बाबत् परिवेदना की गई।

याचिकार्थी की मांग पर विचार किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण याचिका संख्या 10232/2016 श्रीमति रूपलता मीणा बनाम सरकार के निर्णय का अवलोकन किया गया। श्रीमति रूपलता मीणा बनाम सरकार प्रकरण तृतीय श्रेणी शिक्षक के समायोजन से सम्बन्धित है तथा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा श्रेणीवार निर्देश जारी कर मात्र अभ्यावेदन निस्तारण के ही निर्देश दिये गए थे। याचिकार्थी द्वारा चाहे गए झुन्झुनु व सीकर जिले में प्रधानाचार्य का कोई भी पद स्पष्ट रिक्त नहीं है। याचिकार्थी को पूर्व में काउन्सलिंग के समय भी महिला वर्ग का लाभ नियमानुसार दिया जा चुका है और उनकी सहमति के आधार पर ही राउमावि बीजराड, बाडमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्यस्तरीय शिक्षा सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य एवं लोकहित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि गृह जिले सम्बन्धी मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अतः याचिकार्थी श्रीमति नीतू मान, प्रधानाचार्य राउमावि–बिजराड, चौहटन बाडमेर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं। सभी संबंधित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/नीतू मान/याचिका–21359/2017 दिनांकः 30.1.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बाडमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा ।
6. संबंधित संस्था प्रधान ।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)